वन मंत्री संजय शर्मा ने दिखाई सादगी, श्रद्धालुओं के साथ लाइन लगाकर की पूजा

अलवर। वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा ने श्रावण मास के पवित्र सोमवार के अवसर पर देव स्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर में आयोजित रूद्धाभिषेक कार्यक्रम के अंतर्गत आज अलवर शहर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में दर्शनो एवं पूजा के लिए श्रद्धालुओं की लाईन में लगकर सादगी का परिचय देते हुए दर्शन किए और रूद्राभिषेक कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं अच्छी वर्षा की कामना की।

वन राज्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में पवित्र श्रावण मास का विशेष स्थान है। इस माह में भक्ति और बारिश का सुन्दर संयोग रहता है। भक्ति से आध्यात्मिक व बारिश से भौतिक खुशहाली आती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का न केवल चहुंमुखी विकास हो रहा है, बल्कि हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की परम्परा के तहत देव स्थान विभाग द्वारा प्रदेश भर में प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं अच्छी वर्षा के लिए रूद्धाभिषेक कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज व रेलगाडी के माध्यम से देश-विदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा कराई जा रही है। साथ ही मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों की भोग व सेवा राशि में वृद्धि की है।

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा महादेव मंदिर के दर्शनों के लिए लाइन में लगे।

अलवर के प्रसिद्ध प्राचीन त्रिपोलिया शिव मंदिर मे दर्शनों एवं पूजा अर्चना के लिए पहुंचे मंत्री शर्मा की सादगी उस समय देखने को मिली जब वह वीआईपी कल्चर को छोड़कर कर आम लोगों के साथ लाईन में खड़े हुए और श्रृद्धालुओं के साथ लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश कर पूजा-अर्चना व दर्शन किए। मंत्री के सादगी भरे व्यवहार से वहां मौजूद श्रृद्धालुओं ने कहा कि मंत्री शर्मा का व्यवहार वीआईपी कल्चर से दूर सादगी भरा है और यह राजनीति में सुचिता का संदेश देता है। इस दौरान महंत पं. जितेंद्र खेड़ापति ने विधि विधान से मंत्री शर्मा को पूजा-अर्चना कराई। इसके अलावा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित हरियालो राजस्थान अभियान के तहत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत अलवर में भवानी तोप सर्किल स्थित पशु चिकित्सालय परिसर में सनातन गोसेवा धाम एवं कृषि उपज मंडी परिसर में सामाजिक संगठन व व्यापारिक संगठन एवं आम नागरिकों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया। इस अवसर पर मंत्री शर्मा ने भवानी तोप स्थित पशु चिकित्सालय परिसर में सनातन गोसेवा धाम गोशाला में गोसेवको की स्मृति में भामाशाह रामचंद्र नितिन अठावाल द्वारा प्रदान की गई गोसेवा एम्बुलेंस का विधि विधान से पूजन कर उसे खुद चलाकर गोसेवा के लिए समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने एम्बुलेंस के साथ सगुन के तौर पर बछड़े का भी पूजन किया। उन्होंने गोसेवा धाम में गोमाता को गुड़ खिलाया। उन्होंने इस दौरान गोशाला परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लगाए जा रहे पौधारोपण अभियान का शुभारम्भ पौधा लगाकर किया। सनातन गोसेवा समिति के पदाधिकारियों ने मंत्री शर्मा को लम्पी वायरस महामारी के दौरान पीडित गोमाताओं के लिए अपने विधायक कोष से एक आधुनिक गो एम्बुलेंस उपलब्ध कराने तथा गो रक्षा हेतु पुलिस प्रशासन की क्यूआरटी टीम को चार बोलेरो कैम्पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने पर साधुवाद दिया। अलवर कृषि उपज मंडी परिसर में 'एक पेड मां के नाम अभियान' के तहत व्यापारी व पल्लेदारों के साथ 251 पौधे लगाए गए।

■ **सावन मास के सोमवार को अलवर के प्राचीन त्रिपोलिया महादेव मंदिर में किया रूद्धाभिषेक प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छी वर्षा की कामना।**

अतिक्रमणों पर कार्यवाही करते हुए यातायात को सुगम व सुरक्षित बनाएं : कलक्टर

कोटपूतली। जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे।

बैठक में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं और सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं और इसके कारणों पर गहराई से चर्चा की गई। इस दौरान ओवरस्पीडिंग, ट्रैफिक प्रबंधन, ब्लैक स्पॉट, यू-टर्न, साइन बोर्ड का प्रभावी क्रियान्वयन एवं यातायात नियमों के बारे में प्रचार-प्रसार करने, आपातकालीन सेवाओं के रिस्पॉन्स टाइम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श कर संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए।

जिला कलक्टर ने सड़क सुरक्षा एक्टिविटी पर फोकस रखते हुए हाईवे के मध्य अनाधिकृत समस्त कट्स एवं ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए उन्हें बंद करने के निर्देश दिए, साथ ही सर्वे कर दुर्घटना संभावित स्थानों, अनाधिकृत पार्किंग को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा जिससे की सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने सड़कों की मरम्मत, नेशनल हाईवे पर आवश्यक स्थानों पर हेल्प लाइन नंबर प्रदर्शित करने, आईआरडीए ऐप पर दर्ज ब्लैक स्पॉट की स्थिति के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने स्थानीय आवश्यकता व दुर्घटना कारणों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय से कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।

जिला कलैक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने अधिकारियों की बैठक ली ।

जिला कलक्टर ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एनएच-48, एस एच-37 बी, एमडीआर सहित अन्य लोकल सड़कों पर विभिन्न उपायों पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को हाईवे के मद्देनजर किसी प्रकार के हादसे की स्थिति से निपटने के लिए सदैव तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने आरएसआरडीसी, एनएचएआई, पीडब्लयूडी को सड़कों की स्थिति में सुधार के प्रयासों में गति लाने को कहा एवं संबंधित एजेंसियों को पाबंद करते हुए कार्य गुणवत्ता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक ने संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश दिए कि हाईवे पर निरीक्षण कमिटी द्वारा सर्वे कर नए दुर्घटना संभावित क्रॉसिंग पॉइंट्स व ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर सुधार करें, आवश्यक स्थानों पर फेंसिंग या अवरोधक, साइनेज बोर्ड, डिवाइडर, रिफ्लेक्टर, पिलर्स लगवाया जाना एवं मेडियन पर खर पतवार की सफाई सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि एनएचएआई अधिकारी हाईवे, फ्लाईओवर आदि के निर्माण से पहले गहन सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करें जिससे भविष्य में ट्रैफिक की समस्या नहीं हो, हाईवे पर रात्रि में कार्य के दौरान दुर्घटना से बचने के लिए साइनेज लगवाए। उन्होंने कहा कि कागजी कार्यवाही के साथ जमीनी स्तर पर भी सुधार देखने के लिए संवेदनशीलता से कार्य करें, हाईवे के साथ- साथ एमडीआर, ग्रामीण सड़कें व अन्य सड़क मार्गों पर भी सर्वे कर दुर्घटना संभावित स्थानों का चयन कर संबंधित एजेंसियों को पाबंद करते हुए आवश्यक सुधार करें। हमारा उद्देश्य हर हाल में दुर्घटनाओं में कमी लाना है, इसके लिए त्वरित एक्शन प्लान की आवश्यकता है।

किसी भी समाज के आगे बढ़ने में युवाओं का सबसे अधिक योगदान : कर्नल राठौड़

कोटपूतली। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम भौनावास में श्री शेखावत राजपूत सेवा संस्थान सत्ताईसा क्षेत्र के तत्वाधान में राव रत्ना जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि किसी भी समाज के आगे बढ़ने में युवाओं का सबसे अधिक योगदान होता है। इसके लिये युवाओं को भी आगे बढ़कर रचनात्मक कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि सोच सामूहिक होती है तो समाज में एकजुटता आती है, जो किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राठौड़ ने युवाओं को राष्ट्रीय हित में कार्य करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कलम की ताकत को पहचान कर आगे भविष्य का निर्धारण करें। शिक्षा के माध्यम से ही समाज व देश की प्रगति हो सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह ने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी देना जरूरी है। ये संस्कार उसे परिवार या समाज से मिलते हैं।

■ **शेखावत राजपूत सेवा संस्थान सत्ताईसा क्षेत्र द्वारा राव रत्ना जयंती समारोह का आयोजन, 151 प्रतिभा सम्मानित**

इसलिये समाज में व्याप्त व्यसनों को दूर कर युवाओं को नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ाना होगा। विषिष्ठ अतिथि बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत, पूर्व कुलपति कृषि विष्वविद्यालय जोबनेर प्रवीण सिंह राठौड़ व मानसिंह पीथलपुर युवाम संस्था जयपुर ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस मौके पर विशाल बाईक रैली का आयोजन भी किया गया। रैली पावटा से मोहन गौशाला भौनावास पहुंची। इस अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज की 151 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिनमें कक्षा 10 वीं व 12 वीं में 80 प्रतिषत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं व सेना में लेफ्टिनेंट, एडीजे न्यायिक क्षेत्र, सीए, रेलवे, पुलिस, चिकित्सा व शिक्षा में चयनित समाज के युवाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राव रत्ना की प्रतिमा का अनावरण एवं स्मारिका का विमोचन किया गया। स्मारिका में विशेष योगदान कल्याण सिंह राजनौता का रहा।

इस मौके पर कई वर्षो से विचाराधीन थाम्बे पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि राव रत्नाजी के 06 थाम्बे होंगे। जिनमें ग्राम भौनावास, खेलना, इंद्रपुरा (चुरू), प्रागपुरा, कल्याणपुरा, किराड़ोद, जयसिंहपुरा, बागावास, बड़नगर, पांचूडाला, पावटा, पंडितपुरा, टसकोला, राजनौता, कारोली, कैरोड़ी, मंढ़ा, ललाना, भाभरु, सोहड़ी, सतनाली, श्यामपुरा और उरीका गांव शामिल होंगे। इस दौरान भाजयुमो के पूर्व प्रदेष मंत्री राजकुमार देवायुष सिंह, पूर्व जिला पार्षद धूड़ सिंह शेखावत, बिग्रेडियर जयपान सिंह, पूर्व प्रधान विक्रम सिंह तंवर, भागीरथ सिंह सतनाली, रामावतार सिंह बड़नगर, नरपत सिंह वाईस चेयरमैन समेत सत्ताईसवां कार्यकारिणी के सदस्यों में संरक्षक हरिसिंह खेलना, सत्ताईसा अध्यक्ष दशरथ सिंह भौनावास, महामंत्री जगजीत सिंह कारौली, कोषाध्यक्ष घीसा सिंह बहादुरपुरा, जसवंत सिंह, अध्यक्ष विक्रम सिंह तंवर कुंडला, पूर्व जिला जज महावीर सिंह तोरावाटी, हंसराज सिंह, ईकाई अध्यक्ष करण सिंह, महेंद्र सिंह, बिशन सिंह, राजेंद्र सिंह आदाली, कंवरपाल सिंह, हरवीर सिंह, संदीप सिंह, युवराज सिंह, गजेंद्र सिंह, अंकित सिंह,शिवम सिंह, रोहित सिंह, नवीन सिंह, पुष्कर सिंह समेत अन्य मौजूद रहें।

स्कूलों का अवकाश

खैरथल। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने मौसम विभाग द्वारा जारी जिले में अति वर्षा की चेतावनी एवं पूर्वानुमान को मध्यनजर रखते हुए आदेश जारी कर जिले के समस्त आंगनबाडी केंद्रों एवं कक्षा 1 से 12 तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 29 व 30 जुलाई को अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह आदेश केवल कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों एवं छात्र-छात्राओं एवं आंगनबाडी केंद्र पर लागू होगा। विद्यालय एवं आंगनबाडी स्टाफ यथावत कार्य करेंगे। उन्होंने जिले के समस्त संस्था प्रधान/प्रभारी आंगनबाडी केंद्रों को निर्देशित किया है कि वह आदेश की अक्षरशः पालना कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा यदि कोई भी संस्था प्रधान/प्रभारी आंगनबाडी केंद्र उक्त समयावधि में विद्यालय एवं आंगनबाडी केंद्र संचालित करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

'बरसात में तो कम से कम यात्रियों का विशेष ख्याल रखें फुलेरा रेलवे प्रशासन'

फुलेरा। भारतीय रेलवे में फुलेरा जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर जहां कुल 5 प्लेटफार्म है। जिनमें से एक नम्बर प्लेटफार्म पर जहां अभी कोई यात्री सुविधा विकसित नहीं हो पाई है। वहां पर गाड़ियों का घेराव किया जाना बड़ा ही दुखदाई कार्य रेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

गर्मी में तो बिना छत के यात्रियों ने जैसे तैसे करके अपने सिर पर कुछ दुपट्टा आदि रखकर बचाव कर लिया मगर बरसात में हर यात्री को यहां पानी में भीगना पड़ता है। प्लेटफार्म नम्बर एक पर यहां कोई टीन शेड आदि भी यात्रियों की सुविधा के लिए नहीं लगाए गए ना ही यात्रियों के बैठने के लिए कोई बेंच इत्यादि की व्यवस्था यहां पर है । वहीं दूसरी ओर इस प्लेटफार्म पर रेलवे द्वारा स्टॉल एवं खाने पीने के ठेले भी नहीं उपलब्ध होते हैं।

जिससे यात्रियों को इस स्टेशन पर एक फ्लैग स्टेशन की जैसे सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो यात्री बड़ी उम्मीद से फुलेरा आने का इंतजार करते हैं, उन्हें बड़ी निराशा होती है । भारतीय रेल का यह स्टेशन हर प्रकार से बहुत ही उपयोगी एवं हर प्रकार से मितव्ययिता के लिए कारगर साबित हो सकता है मगर भारतीय रेल के अधिकारियों की लापरवाही एवं अपेक्षा के चलते यहां पर यात्रियों के साथ ना इंसाफी की जा रही है । गौरतलब है कि प्लेटफार्म नम्बर दो एवं तीन पर यात्रीयों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है, मगर वहां पर गाड़ियों को ठहराव नहीं किया जाता, एक बहुत सोचनीय विषय है क्योंकि जो वेंडर इस प्लेटफार्म पर महंगा अपना लाइसेंस शुल्क जमा करवाते है। गाड़ियों के ठहराव नहीं होने के कारण उनकी रोजी-रोटी पर भी संकट है। कंज्यूमर्स एक्शन एण्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अध्यक्ष विजेन्द्र प्रकाश हलचल ने इस गंभीर समस्या के लिए मण्डल रेल प्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक को पत्र भेज कर वर्षा काल में एक नम्बर प्लेटफार्म पर गाड़ियों का ठहराव बन्द करने एवं दो एवं तीन नम्बर पर ही यात्री सुविधा के मध्य नजर गाड़ियों का ठहराव करने की मांग की है। दूसरी ओर उन्होंने रेल प्रशासन से मांग की है कि एक नम्बर प्लेटफार्म पर जब तक समस्त यात्री सुविधाएं विकसित नहीं हो वहां पर गाड़ी का ठहराव नहीं किया जाये। उन्होंने रेल प्रशासन से यह भी मांग की है कि फुलेरा जंक्शन पर समस्त लम्बे रूट की गाड़ियों का स्थाई ठहराव भी किया जाये। क्योंकि यहां पर यात्री दबाव बहुत अधिक रहता है, लोगों को गाड़ियों में लटक कर यात्रा करनी पड़ती है।

फुलेरा के एक नम्बर प्लेटफार्म पर अभी कोई यात्री सुविधा विकसित नहीं हो पाई है।

■ **रेल प्रशासन से मांग की है कि एक नम्बर प्लेटफार्म पर जब तक समस्त यात्री सुविधाएं विकसित नहीं हो वहां पर गाड़ी का ठहराव नहीं किया जाये।**

400 से अधिक सफाईकर्मी सम्मानित

गंगापुर सिटी, 28 जुलाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भरतपुर संभाग में गंगापुर सिटी के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर लायंस क्लब ने नगर परिषद के लगभग 400 सफाईकर्मियों का सम्मान किया।

विजय पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में इन कर्मचारियों को स्वच्छता सैनिक की उपाधि दी गई। सभी सफाईकर्मियों को माला, दुपट्टा और स्मृति चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर ने कहा कि नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने दिन-रात मेहनत कर यह गौरव हासिल किया है।

उन्होंने बताया कि यह सर्वेक्षण सरकार द्वारा किया गया था। इसमें सभी कर्मचारियों ने समर्पण से काम किया। नगर परिषद के सभापति शिवरतन गुप्ता ने कहा कि मेहनत से

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री देवकीनन्दन रिणवा पुत्र श्री प्रलाद राय रिणवा निवासी 253-254 शिव विहार कॉलोनी, रोड नम्बर 5, सीकर रोड जयपुर-39 ने अपने पुत्र निशान्त रिणवा को जो मेरे उपरोक्त अभिभाष्य के कहने मे नहीं है तथा उनके विपरीत चलता है को मेरे अभिभाष्य की सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित करते है। तथा आज के पश्चात से निशान्त रिणवा का मेरे अभिभाष्य की सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं रहा है। सूचित रहे।
जयपुर
दिनांक-28.07.2025
रवि दत्त शर्मा, एडवोकेट
मोबाईल नंबर-9314297662

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सिद्धार्थ बिल्डर्स रजिस्ट्रेशन संख्या 28/13/2005 पता ग्राम व पोस्ट भेडोली जिला दौसा स्थान से इन्द्राज है। जिसमें फर्म के पार्टनर क्रमश-1. अमित यादव, 2. मनोज कुमार दिनांक 27.07.2024 को रिटायर हो रहे है एवं नये पार्टनर के रूप में क्रमशः 1. साहिल बैंसला 2. कृष्ण कमार यादव 3. भजन लाल 4. महिपाल सिंह 5. रमेश चन्द्र 6. लौलाराम दिनांक 26.07.2025 को शामिल हो रहे है।
अत इस फर्म में किसी को कोई आपत्ति हो तो कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र दौसा में 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है।
मैसर्स सिद्धार्थ बिल्डर्स
भेडोली जिला दौसा (राज.)

श्रम न्यायालय संख्या 2 जयपुर
क्रमांक-297/25 दिनांक-15.07.2025
केस नं.एलसीआर-291/23
नोटिस
अमित कुमार नायक बनाम डेसीमस फाईनेन्शियल व अन्य
1. जोनल मैनेजर, फाईनेन्शियल लि. 122/255 विजय पथ थडी मार्केट के पास, मानसरोवर जयपुर राजस्थान आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकदमा वास्ते निम्नांकित कार्यवाही हेतु इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.08.2025 को नियत किया जाता है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त दिनांक को प्रात 10.00 बजे इस न्यायालय के समक्ष मय दस्तावेज अपने अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित रहे। अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
1. स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम, 2. जवाब विपक्षी, 3. दस्तावेज प्रार्थी/अप्रार्थी, 4. साक्ष्य प्रार्थी/विपक्षी, 5. सुनवायी/बहस, 6. उपस्थित पक्षगण
आदेशानुसार
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
श्रम न्यायालय संख्या 2, जयपुर

खोया पाया
मेरी शारदा विद्या मंदिर अम्बाबाडी जयपुर की सन् 2023-24 की टी.सी. कहीं गुम हो गई है। मिलने पर सूचित करें देवांश जांगिड 491 प्रताप नगर विस्तार, वैद जी का चौराहा, मुरलीपुरा, जयपुर

मेरा एक बैग जिसमें मेरे प्लॉट संख्या 212 (क्षेत्रफल 426.7 वर्गगज) गणेश मार्ग, सूर्य नगर, गोपालपुरा रोड, जयपुर जो कि मेरे स्व. पिताजी श्री रामप्रकाश के नाम से है के मूल दस्तावेज एवं मेरा मूल आधार कार्ड मानसरोवर में कहीं गिर गए है मिलने पर सूचित करें अतुल कुमार शर्मा-9829108756

श्रम न्यायालय संख्या 2 जयपुर
क्रमांक-291/23 दिनांक-15.07.2025
केस नं.एलसीआर-07/2018
नोटिस
अमित कुमार नायक बनाम डेसीमस फाईनेन्शियल व अन्य
1. ब्रांच मैनेजर, डेसीमस फाईनेन्शियल लि. ब्रांच ऑफिस दुकान नं. 271 मुरलीपान भण्डार के उपर, त्रिपोलिया बाजार जयपुर राजस्थान 302002
आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकदमा वास्ते निम्नांकित कार्यवाही हेतु इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.08.2025 को नियत किया जाता है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त दिनांक को प्रात 10.00 बजे इस न्यायालय के समक्ष मय दस्तावेज अपने अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित रहे। अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
1. स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम, 2. जवाब विपक्षी, 3. दस्तावेज प्रार्थी/अप्रार्थी, 4. साक्ष्य प्रार्थी/विपक्षी, 5. सुनवायी/बहस, 6. उपस्थित पक्षगण
आदेशानुसार
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
श्रम न्यायालय संख्या 2, जयपुर

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम पवन कुमार सरायवाला से बदलकर पवन अग्रवाल पुत्र श्री रामचंद्र अग्रवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए निवासी सी-51 रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा, जयपुर-302039

मैंने अपना नाम शिवरतन से शिवरतन सैनी रख लिया है भविष्य में मुझको शिवरतन सैनी पुत्र स्वर्गीय शेर सिंह सैनी के नाम से जाना पहचाना जाएगा।

मैंने अपना नाम दिलीप कुमार राठौड से बदलकर नया नाम दिलीप कुमार रख लिया है भविष्य में नए नाम से जाना जाऊंगा जो दिलीप कुमार पुत्र मानकरण राठौड मकान नं. 892 दमानिया की गली रायपुर पाली राजस्थान 306304

मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कीर्ति जाजपुरिया दर्ज है जो कि गलत है सही नाम बबीता जाजपुरिया है मेरे पुत्र की शैक्षणिक दस्तावेजों में इसी नाम से जाना जाये पता-6/47 गणेश कॉलोनी, सांगानेर जयपुर

मैं आर्मी नं 16023565A लांस हवलदार धर्मेन्द सिंह यूनिट 17 राजरिफ (सवाईमान) है। मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम धीरप सिंह (DHIRAP SINGH) है जो की गलत है। मेरे पिताजी का सही नाम धीरज सिंह (DHEERAJ SINGH) है

मैंने मेरा नाम अनीता देवी से बदलकर अनीता धर्मपत्नी रतन लाल नायक रख लिया है भविष्य में सभी सरकारी, गैरसरकारी कार्यो में मुझे अनीता नाम से जाना पहचाना जावें। पता-534 जे.पी. कॉलोनी, सेक्टर नम्बर-1 अमानीशाह रोड, शास्त्रीनगर जयपुर

I Jakir Hussain S/o Abdul Gani R/o 52, Murshid Nagar, Sec.12, Saweena (rural), Udaipur, Rajasthan - 313002, have changed my name to Jakir Hussain Sheikh

I Santosh Kanwar legally wedded spouse of army no 15164979A Ex NK (GNR) S/O Samunder singh Rathore resident of plot no 95 Ganesh Nagar Kanakapura jhotwara jaipur that i have changed my name which is wrongly entered in my husband service record from SANTOSH KANWAR To SANTOSH vide affidavit dated 24 July 2025 before district sub majistrate Jaipur city

I army no 15164979A Ex NK (GNR) Jitendra Singh S/O Samunder singh Rathore Resident Of plot No 95 Ganesh Nagar Kanakapura jhotwara jaipur that i have changed my daughter name which Is wrongly entered in my service record from NIHARIKA KANWAR To NIHARIKA vide affidavit dated 24 July 2025 before district sub majistrate Jaipur city

I army no 15164979A Ex Nk (GNR) Jitendra Singh S/O Samunder Singh Rathore Resident Of plot no 95 Ganesh Nagar Kanakapura jhotwara jaipur that i have changed my daughter name which is wrongly entered in my service record from NIKITA To NIKITA RATHORE vide affidavit 24 July 2025 before district sub majistrate Jaipur city

न्यायालय माननीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)
प्रकरण क्र.-498/2024 एम.जे.सी.आर.
श्रीमती आशमा खॉन आदि आवेदकगण
बनाम
डॉ. आरिफ खॉन अनावेदक
सूचना पत्र
बनाम-अनावेदक डॉ. आरिफ खॉन (राईन) पुत्र श्री शरीफ राईन आयु 34 वर्ष, निवासी गुप्ता हॉस्पीटल, 27 घोडा निकास रोड, सरस मिल्क डेयरी के पास, रामगंज, जयपुर (राजस्थान)-302021 हाल निवासी-16 रविविहार बी, मदीना नगर, जगतपुरा रोड, खो नागोरिया, जयपुर (राजस्थान)
सूचना पत्र
यह कि आवेदिका आशमा खॉन पत्नि डॉ. आरिफ खॉन पुत्री श्री फखरूद्दीन राईन आयु 30 वर्ष निवासी बाई साहब की परेड, ढोली बुआ का पुल, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) के द्वारा आपके विरूद्ध इस न्यायालय में समक्ष याचिका अंतर्गत धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत की गई है।
अत जरिये सूचना पत्र से आप अनावेदक डॉ. आरिफ खॉन को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में अपना जवाब इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 06.10.2025 को प्रात 11.00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में आपके वरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।
यदि नियत दिनांक को न्यायालय अवकाश घोषित हो जाता है अथवा पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहते है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी कार्य दिवस पर की जावेगी।
आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
(अजयकांत पाण्डेय)
मोहर अदालत
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 292/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि कैला कुमार पालीवाल पुत्र श्री हर प्रसाद पालीवाल निवासी बिवाई तहसील बसवा, जिला दौसा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत पालीवाल शिक्षा समिति कार्यालय पता- बिवाई तहसील बसवा, जिला दौसा ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.09.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/496
चूंकि प्रार्थी श्री चंदू कला परमार बी-16 सिद्धा आंगन विला, बगरू खुर्द, अजमेर रोड, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास आयुष्मान विद्या सोसायटी जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.09.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका किशनगढबास, खैरथल-तिजारा
क्रमांक-1332 दिनांक-28.07.2025
लोक सूचना
प्रारूप-10 नियम 6(7) देखिए
आवेदक/खातेदार श्रीमती ब्रह्मा देवी पत्नि श्री महेन्द्र सिंह निवासी बासकृपाल नगर किशनगढबास तह. किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उप